सं0सं0–9/कोर्ट–10–2/2010 ~ 947 (9)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 संजीव कुमार चौधरी, तत्का0 चि0 पदा0, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पिपराबगाही, औरंगाबाद के विरूद्ध जुलाई 2002 से लगातार लंबे समय तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 691(9) दिनांक 11.9.03 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। डा0 चौधरी संचालन पदाधिकारी के समक्ष निबंधित डाक से सूचित किए जाने के पश्चात् भी कभी उपस्थित नहीं हुए। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने संबंधी अधिगम समर्पित किया गया। पुनः विभागीय ज्ञापांक 1193(9) दिनांक 29.11.03 द्वारा समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया किन्तु डा0 चौधरी सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया। अतः प्रमाणित आरोप के आधार पर विभागीय संकल्प सं0 571(9) दिनांक 8.7.09 द्वारा डा0 चौधरी को सरकारी सेवा से वर्खास्त किया गया।

2. उपर्युक्त वर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध डा0 चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 17144/2009 दायर किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2012 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं0 571(9) दिनांक 8.7.09 को set aside करते हुए सरकार को नए सिरे से वादी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की छूट प्रदान की गई।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 17144/2009 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में डा0 संजीव कुमार चौधरी तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पिपरा बगाही, औरंगाबाद की बर्खास्तगी आदेश को संकल्प सं0 1187(9) दिनांक 12.09.2013 द्वारा निरस्त करते हुए उन्हें पुनः सरकारी सेवा में वापस लिया गया तथा उनके विरूद्ध संकल्प सं0 486(9) दिनांक 16.4.13 एवं संशोधित संकल्प सं0 115(9) दिनांक 10.02.2014 द्वारा नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में डा0 चौधरी के विरूद्ध फरवरी 2003 से दिनांक 08.07.2009 तक (पॉच वर्षो से अधिक) अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित पाया गया। अधिगम की प्रति भेजते हुए डा0 चौधरी से विभागीय पत्रांक 978(9) दिनांक 5.11.2014 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई। डा0 चौधरी का प्रत्युतर दिनांक 25.11.2014 को समर्पित किया गया।

आरोप, अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी के अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरांत यह पाते हुए कि डा0 संजीव कुमार चौधरी फरवरी 2003 से 08.07.2009 तक (कुल छः वर्ष पॉच माह) अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

5. तदालोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 संजीव कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराबगाही, औरंगाबाद को पॉच वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 संजीव कुमार चौधरी,एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 947(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 09/09/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 संजीव कुमार चौधरी, तत्का0 चि0 पदा0, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पिपराबगाही, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 543 दिनांक 20.05.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9.9.16

सरकार के अवर सचिव